प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 12-11-2013 को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, रानी लक्ष्मीबाई पेशन योजना, दशमोत्तर अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2014-15 से सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से धनराशि का हस्तान्तरण करने विषयक आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्री के0 राम मोहन राव, सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग।
2. श्री विजय बहादुर सिंह, निदेशक, कोषागार, उ0प्र0।
3. श्री आर0एच0 खान, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र।
4. श्री जीतेन्द्र प्रकाश, आंचलिक लेखाधिकारी, सी0बी0डी0टी0, लखनऊ।
5. श्री आर0के0 सिंह, उप निदेशक, समाज कल्याण मुख्यालय।

बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं यथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन, दशमोत्तर अनुसूचित जाति/सामान्य जाति छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर के माध्यम से जनपद के सभी पेंशनरों की डिमान्ड जनरेट कराने के उपरान्त मांग पत्र का विवरण स्टेट बैंक की मुख्य शाखा को प्रेषित किया जाता है। स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के द्वारा सभी बैंकों की मुख्य शाखाओं के नाम डी0डी0 बनवाई जाती है। सम्बन्धित बैंकों की मुख्य शाखा में उस बैंक की सभी शाखाओं के लाभार्थियों की सूची संलग्न कर बैंक में प्रेषित की जाती है। सम्बन्धित बैंक अपनी शाखाओं को धनराशि हस्तान्तरित कर सूची बैंक को प्रेषित कर देता है। बैंक शाखाओं द्वारा धनराशि लाभार्थी के खातों में अंतरित कर दी जाती है। छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भी उक्त व्यवस्था के माध्यम से धनराशि का हस्तान्तरण किया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि के हस्तान्तरण में प्राय: विलम्ब होता है एवं लाभार्थियों के खातों का मिलान न हो पाने के कारण बहुतायत धनराशि बैंकों से वापस आती है, जिसका निस्तारण कराने में क्रमश:

hasanadesh.up.nic.in

विभाग एवं बैंक दोनों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, अनुसूचित जाति/सामान्य जाति के पुत्रियों की शादी बीमारी योजना, अनुसूचित जाति के उत्पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत लाभार्थियों के खातों में धनराशि का हस्तान्तरण किये जाने में ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। इस व्यवस्था मे साफ्टवेयर द्वारा केवल लाभार्थी का बैंक खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड का ही मिलान करके भुगतान कर दिया जाता है, जबकि लाभार्थी के नाम का मिलान किये जाने की कोई व्यवस्था साफ्टवेयर में नहीं है। दूसरी व्यवहारिक कठिनाई यह है कि इस साफ्टवेयर के माध्यम से टुकड़ों में भुगतान किये जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल पर लाभार्थियों के खातों का मिलान नाम, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित पोर्टल पर डालने के 10 मिनट के भीतर ही सम्बन्धित बैंक से लाभार्थी के खाते से संबंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के विवरण को क्रास चेक भी किये जाने की व्यवस्था है, जिसके परिणामस्वरूप गलत खाते में धनराशि के भुगतान की सम्भावना नगण्य है, साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से क्रमशः लाभार्थियों का भुगतान टुकड़ों-टुकड़ों में भी किया जा सकता है। डी0बी0टी0 में पेंशन योजनान्तर्गत चयनित 06 जनपदों क्रमशः इटावा, रायबरेली, चित्रकूट, अमेठी, सन्तकबीर नगर एवं श्रावस्ती में इसी पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के पेंशन की द्वितीय किश्त की धनराशि का भुगतान निकट भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सम्बन्ध में उक्त 06 जनपदों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं सम्बन्धित सभी अधिकारी उक्त व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

निदेशक, कोषागार द्वारा भी सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध व्यवस्था को ई-पेमेंट हेतु विकसित किये गये साफ्टवेयर से ज्यादा औचित्यपूर्ण पाया गया एवं इस सम्बन्ध में उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबन्धक से दूरभाष पर वार्ता भी की गयी एवं वार्ता के उपरान्त उनके द्वारा यह संस्तुति भी दी गयी कि उक्त व्यवस्था को प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में उन्हे कोई कठिनाई नहीं है।

इस संबंध में सी0पी0एस0एम0एस0, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री जीतेन्द्र प्रकाश को इस व्यवस्था को कोषागार में लागू कराने हेतु अवगत करा दिया गया है तथा प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 से डी0बी0टी0 की व्यवस्था सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल पर कोषागार के माध्यम से प्रदेश

shasanadesh.up.nic.in

के सभी जनपदों में विभाग की समस्त लाभार्थीपरक योजनाओं हेतु लागू कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूरी कर ली जाए। इस प्रयोजनार्थ सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल को राज्य सरकार की योजनाओं हेतु कस्टमाइज्ड करने की व्यवस्था सी0पी0एस0एम0एस0, नई दिल्ली के माध्यम से यथाशीघ्र सम्पन्न करायी जाये।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या-10/2875/26-2-2013
लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्निलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री आलोकर कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर जनरल ऑफ एकाउन्ट्स, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ
4- निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

राज कुमार त्रिवेदी
अनुसचिव

shasanadesh.up.nic.in